रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-टी.एल.-अ.-12042025-262437 CG-TL-E-12042025-262437

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] No. 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

श्रीनगर (गढ़वाल), 21 मार्च, 2025

पत्रांक : हे0न0ब0ग0वि0वि0/ शैक्षणिक /2025/113.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.—

अध्यादेश -11

नियुक्ति, कार्यकाल, नियम और शर्तों के लिए

विश्वविद्यालय के अधिकारी

(पुस्तकालयाध्यक्ष)

(धारा 9 और 17 तथा संविधि 9 के अंतर्गत)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 9 और 17 और परिनियम 9 को लागू करने के उद्देश्य से, कार्यकारी परिषद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय) में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियक्ति और अन्य नियमों और शर्तों (विश्वविद्यालयहेत् निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

2498 GI/2025 (1)

लाइब्रेरियन/पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति

- 1. एक पुस्तकालयाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति इसी प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- 2. पुस्तकालयाध्यक्ष के चयन के उद्देश्य हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 18 के खंड(2) के उपबंधों के अनुसार एक चयन समिति गठित की जाएगी।
- 3. इस प्रकार नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के प्रशासनिक पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
- 4. यदि पुस्तकालयाध्यक्ष को सरकार या किसी अन्य संगठन/संस्था से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवा की शर्तें विश्वविद्यालय के प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा शासित होंगी।

बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष को कुलपित की संस्तुति पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित अविध से पहले भी वापस भेजा जा सकेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्यकाल

1. पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु तक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में पद पर बना रहेगा। बशर्ते कि जहां पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जाती है, वहां उसका कार्यकाल प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार होगा।

कार्यवाहक पुस्तकालयाध्यक्ष

1. पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन अपने कर्तव्यों के) विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी या प्रोफेसर द्वारा किया जाएगा (अतिरिक्त, जिसे कुलपित द्वारा ऐसी अविध हेतु नामित किया जाए, जो कुलपित द्वारा निर्दिष्ट की जायेंगे।

बशर्ते कि जहां पुस्तकालयाध्यक्ष अवकाश या ड्यूटी पर अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ हो,कुलपित, अनुपस्थिति की ऐसी अविध या असमर्थता के संबंध में, कार्यालय के लिए उसी प्रकार व्यवस्था कर सकेंगे जैसे कार्यालय में रिक्ति की स्थिति में करता है, या यदि वह उचित समझे तो पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठ प्रशासनिक पद धारण करने वाले उपयुक्त व्यक्ति को कार्यालय के कार्य सौंप सकेंगे।

नियम और शर्तें

1. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान पर की जाएगी और विश्वविद्यालय, समय पर निर्धारित अवकाश-के प्रशासनिक कार्मिकों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय, वेतन, भत्ते, भविष्य निधि एवं अन्य लाभों का हकदार होंगें।

- 2. पुस्तकालयाध्यक्ष को असज्जित आवासीय आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए किराया या लाइसेंस शुल्क सामान्य दर पर देय होगा।
- 3. पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय पुस्तकालय (विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थित) का प्रशासनिक प्रमुख होगा तथा उसके सामान्य प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होगा।
- 4. पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय समिति एवं विश्वविद्यालय की पुस्तकालय प्रणाली की प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव-होगा।
- 5. कला, संविधि और अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन,पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्यकारी परिषद या कुलपित द्वारा समयसमय पर सौंपे जाएं-गें।

डॉ. राकेश कुमार ढोडी, कुलसचिव [विज्ञापन-III/4/असा./33/2025-26]

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY, UTTARAKHAND (A CENTRAL UNIVERSITY) NOTIFICATION

Srinagar, (Garhwal), the 21st March, 2025

Letter: H.N.B.G.U./Academic/2025/113.—The following is published for general information.—

ORDINANCES-11

For Appointment, Tenure, terms, and conditions of

THE OFFICERS OF THE UNIVERSITY (THE LIBRARIAN)

(Under Section 9 and 17 and Statute 9)

In exercise of the powers vested in Section 28 (2) of the Central Universities Act, 2009 and for the purpose of implementing Sections 9 and 17 and Statute 9, the Executive Council hereby makes the following Ordinances for appointment and other terms and conditions of Librarian in Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University (A Central University).

Appointment of the Librarian

- 1. There shall be a Librarian who shall be appointed by Executive Council on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and he/she shall be a whole-time salaried officer of the University.
- 2. There shall be constituted a Selection Committee in accordance with the provisions of clause (2) of Statute 18 of the Central Universities Act, 2009 for the purpose of selection of the Librarian.
- 3. The Librarian so appointed shall work under the administrative supervision and disciplinary control of the Vice-Chancellor.
- 4. In case the Librarian is appointed on deputation from the Government or any other Organization/Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the University.

Provided that the Librarian appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

Tenure of the Librarian

1. The person appointed as the Librarian shall hold the office as the Librarian until he/she attains the age of sixty-two years.

Provided that where the librarian is appointment on deputation, his/her tenure shall be as provided in the terms of deputation.

Acting Librarian

In case of vacancy in the office of the Librarian, duties of the office of Librarian shall be performed (in addition
to his own duties) by such officer or Professor of the University, as may be nominated by the Vice-Chancellor
for such period as may be specified by the Vice-Chancellor:

Provided that where the Librarian is absent on leave or duty or is unable to perform his duties for any other reason, the Vice-Chancellor may, for such duration of absence or inability make arrangement for the office in the same manner as in the case of vacancy in the office or, if he seems fit, assign the duties of the office to a suitable person holding a senior administrative position under the Librarian.

Terms and Conditions

- 1. The Librarian shall be appointed on such scale of pay as prescribed by the University Grants Commission, and shall be entitled to such leave, leave salary, allowances, provident fund, and other benefits as prescribed by the University from time to time for the administrative staff of the University.
- 2. The Librarian shall be provided with an unfurnished residential accommodation for which rent, or license fee shall be payable at the usual rate.
- 3. The librarian shall be the administrative head of the University Library (located in any campus of the University) and shall be responsible for the general management thereof.
- 4. The Librarian shall be the Member-Secretary of the Library Committee and of the Committee of Management of the Library System of the University.
- 5. Subject to the provisions of the Act, Statutes and Ordinances, the Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him/her from time to time by the Executive Council or by the Vice-Chancellor.

Dr. RAKESH KUMAR DHODI, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./33/2025-26]